न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/162/2018	26–12–2018	21–06–2019

1– सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी शांतिकुंज, अलवर जिला अलवर राजस्थान।

–अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज0।

–रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार अलवर आराजी ख0 नं0 165 रकबा 0.22 है0 वाके धवाला तहसील अलवर जिला अलवर दिनांक 26.10.2018

उपस्थितः–

01. कुमारी सुषमा शर्मा –वकील अपीलान्ट्स

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 26.10.2018 जिसके द्वारा आराजी खसरा नम्बर 165 रकबा 0.22 है0 वाके धवाला तहसील अलवर जिला अलवर से अपीलार्थी को बेदखल किये जाने की आज्ञा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 26.10.2018 की अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 10.12.2018 को उस वक्त हुई जब अपीलांट तहसील कार्यालय में अपने व्यक्तिगत काम से गया था तब पटवारी हल्का ने बताया की खसरा नम्बर 165 से आपका कब्जा हटाने के आदेश हो रखे है। नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई। देरी के लिये पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 165 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम धवाला तहसील अलवर सिवायचक भूमि है जिस पर पिछले 40–50 सालों से अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। खसरा नम्बर 165 के तरफ उत्तर–पश्चिम अपीलांट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 160 व 166 है। खसरा नम्बर 165 अपीलांट की खातेदारी के खसरा नम्बर 160, 166 में मिला हुआ है। खसरा नम्बर 165 में आने जाने का रास्ता भी मिन अपीलांट के खसरा नम्बर से होकर ही है। खसरा नम्बर 165 में जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है। खसरा नम्बर 160/0.39 है0, 166/0.35 है0 को अपीलांट द्वारा कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थं संपरिवर्तन कराया गया। उसके उपरांत दिनांक 13.08.2018 को जिला कलक्टर, अलवर के आदेश से खसरा नम्बर 160 व 166 को पर्यटन इकाई के रूप में नियमन किया। खसरा नम्बर 165 प्रार्थी की पर्यटन इकाई, खसरा नम्बर 160, 166 से तरफ पूर्व को लगता हुआ है। आज भी मौके पर अपीलांट का कब्जा है। खसरा नम्बर 165 से तरफ पूर्व को अपीलांट के पिता देवीसिंह की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 163, 164, 169 स्थित है। जिस पर अपीलांट के पिता काबिज चले आ रहे है। खसरा नम्बर 165 अपीलांट की चारदिवारी के अन्दर बाकी खसरा नम्बरों में मिला हुआ है। चारों ओर अपीलांट व उनके पिता की मिल्कियत की भूमि है। खसरा परिवर्तनशील में अपीलांट के नाम का इन्द्राज बदस्तूर चला आ रहा है। अपीलांट 30–40 साल से बदस्तूर सरकार को पैनल्टी अदा करता चला आ रहा है। अपीलांट ने उक्त खसरा नम्बर 165 रकबा 0.22 है0 को रैगुलाईज किये जाने के लिये प्रा0पत्र कैम्प प्रभारी के समक्ष पेश किया। जिस पर पटवारी हल्का एवं कानूनगो द्वारा दिनांक 12.11.2010 को स्पष्ट रिपोर्ट की गई कि अपीलांट का मौके पर कब्जा है। प्रार्थी उक्त

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

आराजी का नियमन कराना चाहता है। दिनांक 12.01.2013 को कैम्प प्रभारी अकबरपुर में प्रार्थी द्वारा पुनः खसरा नम्बर 165 रकबा 0.22 है0 पर नियमन व आवंटन करने हेतु प्रा0पत्र पेश किया जो अभी विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अपीलांट को कभी बेदखली का आदेश दिया ना ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया। बिना नोटिस दिये ही अपीलांट के बेदखली की कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.10.2018 निरस्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रा0पत्र पर विचार किया गया। अपीलांट ने यह अपील आदेश दिनांक 26.10.2018 के विरूद्ध दिनांक 24.12.2018 को पेश की गई। जो करीब 2 माह के विलम्ब से पेश की गई है। मियाद के बिन्दु पर सहानुभूति रखते हुए प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में पी-35 के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट का विवादित आराजी पर काफी सालों से कब्जा है। तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 26.10.2018 व पत्रांक राजस्व/2018/1502-03 दिनांक 17.12.2018 से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का अलवर से उक्त संबंध में बिन्दूवार रिपोर्ट चाही गई है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी अलवर में आराजी खसरा नम्बर 165 रकबा 0.22 है0 को नियमन व आवंटन कराने के संबंध में प्रा0पत्र पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है। अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि आराजी खसरा नम्बर 165 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम धवाला की पत्रावली वास्ते नियमन हेतु नियमन/आवंटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करे एवं कमेटी द्वारा विधिसम्मत् निर्णय लिये जाने तक प्रार्थी को बेदख लना करें। दिनांक 26.10.2018 को अतिक्रमण हटाने हेतु जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसे स्थगित किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार अलवर को उनके रिकॉर्ड के साथ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 21-06-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)